उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
Website-www.upnursescouncil.org Email-upnursescouncil@upsmfac.org
Phone : 0522 - 2238846, +91-9151024462

पत्रांक संख्या–5954/25 दिनांक 02.07.25

सेवा मे,
प्रधानाचार्य,
वरूण अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
वरूण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एण्ड रोहिलखण्ड हॉस्पिटल,
एन0एच–24 बन्थरा, शाहजहांपुर उ0प्र0।

विषय–बी0एससी0–नर्सिंग पाठ्यक्रम में 40 सीट से बढ़ाकर 100 सीट (60 सीट वृद्वि) हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–I/980479/2025 71–4099/1046/2021–चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4–चिकित्सा शिक्षा विभाग–Part(1) दिनांक 02 जून, 2025 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनांक 26.06.2025 के आधार पर वरूण अर्जुन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित वरूण अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वरूण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एण्ड रोहिलखण्ड हॉस्पिटल, एन0एच–24 बन्थरा, शाहजहांपुर उ0प्र0 को बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) की 40 सीट से बढ़ाकर 100 सीट (60 सीट वृद्वि) का पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु अनुमति शासनादेश में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता/सम्बद्धता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः वरूण अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वरूण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एण्ड रोहिलखण्ड हॉस्पिटल, एन0एच–24 बन्थरा, शाहजहांपुर उ0प्र0 के प्रशिक्षण केन्द्र में 40 सीट से बढ़ाकर 100 सीट (60 सीट वृद्वि) प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के बी0एससी0–नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रक्रिया हेतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 35,000+18% GST इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

(डा0 अनुराग श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या– दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. कुलसचिव, वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, एन0एच0–24, बन्थरा, शाहजहांपुर उ0प्र0।

(डा0 अनुराग श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, 9151024463
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–5955/25 दिनांक 02-07-25

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग,
वरूण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एण्ड रोहिलखण्ड हॉस्पिटल,
एन0एच–24 बन्थरा,
शाहजहांपुर ।

विषय–वरूण अर्जुन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग, वरूण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एण्ड रोहिलखण्ड हॉस्पिटल, एन0एच–24 बन्थरा, शाहजहांपुर में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण केन्द्र में 60 सीट से बढ़ाकर 100 सीट (40 सीट वृद्धि) की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–I/955918/2025 71–4099/70/2021–चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4–चिकित्सा शिक्षा विभाग–Part(3) दिनांक 07 मई, 2025 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण–पत्र/अनापत्ति में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन तथा इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनांक 26.06.2025 के समय संस्था द्वारा निरीक्षण दल को दर्शायें गये संसाधनों एवं उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में वरूण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग, वरूण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एण्ड रोहिलखण्ड हॉस्पिटल, एन0एच–24 बन्थरा, शाहजहांपुर को डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी पाठ्यक्रम में 60 सीट से बढ़ाकर 100 सीट (40 सीट वृद्धि) प्रति शैक्षिक वर्ष भर्ती क्षमता हेतु निम्नलिखित निर्देशों के साथ मान्यता/सम्बद्वता प्रदान की जाती है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संस्था का निरीक्षण किया जायेगा ।

1. प्रवेश क्षमता 100 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जायेगा।
2. प्रशिक्षण सत्र प्रतिवर्ष 01 अगस्त से प्रारम्भ होगा।
3. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार ही अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा।

4. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 राज्य सरकार, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

5. आपके प्रशिक्षण केन्द्र का समय–समय पर निरीक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

6. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत नर्सिंग टीचिंग फैकल्टी को कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध सेन्टर लॉगिन पैनल पर इनरोल्ड करना अनिवार्य है।

7. कार्यालय की वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के समकक्ष बोर्ड की सूची दर्शित है, उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये।

8. प्रवेशित छात्र/छात्राओं का ऑनलाईन इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर प्रत्येक वर्ष कार्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अवश्य किया जाना अनिवार्य है।

9. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कराई जायेगी।

10. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 4,500/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,500/– प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में लिया जायेगा

11. अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।

12. प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 1,50,000+18% GST (रू.1,500/– प्रति अभ्यर्थी की दर से) 100 अभ्यर्थियों का इस कार्यालय में जमा करना होगा।

13. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो।

भवदीय,

(डा0 अनुराग श्रीवास्तव)
सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अनुराग श्रीवास्तव)
सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।